PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Hindustan, Delhi
Mon, 12 Jun 2017, Page 1
Width: 34.31 cms, Height: 32.29 cms, a3r, Ref: 31.2017-06-12.14

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, परिषद ने 66 अहम वस्तुओं-सेवाओं पर कर घटाया

जीएसटीः गृहिणियों और छोटे कारोबारियों को छूट

नई दिल्ली | एजेंसियां

जीएसटी परिषद ने विभिन्न वर्गों की मांगों को ध्यान में रखते हुए रविवार को 66 वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर घटाने का फैसला किया। गृहिणियों के लिए अचार-मुरब्बा, चटनी और कुछ सौंदर्य उत्पादों पर कर घटाने के साथ जीएसटी में छोटे कारोबारियों को भी छूट दी गई है।

बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 133 वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर घटाने का सुझाव मिला था। इनमें 66 वस्तुओं व सेवाओं की कर दरें कम करने का निर्णय हुआ। परिषद की 18 जून को अगली बैठक में लॉटरी पर कर और ई वे बिल पर विचार किया जाएगा।

75 लाख तक के सालाना कारोबार पर कर में राहत : परिषद ने छोटे कारोबारियों, उत्पादकों और रेस्तरां मालिकों को राहत दी है। अब 75 लाख रुपये सालाना कारोबार करने वाले स्वतः एकमुश्त कर योजना चुन सकते हैं। वे क्रमशः एक, दो और पांच फीसदी की दर से कर भर सकते हैं। कपड़ा, हीरा प्रसंस्करण, चमड़ा, आभूषण और छपाई उद्योग में जॉब वर्क करने वालों पर कर 18 से पांच प्रतिशत करने पर मुहर लगी।

अचार, काजल पर कर कम : गृहिणियों को राहत देते हुए अचार-मुरब्बा के साथ मस्टर्ड सॉस, टॉपिंग स्प्रैड, इंस्टेंट फूड मिक्स पर कर 18 से 12 फीसदी किया गया। काजल पर भी 12 की बजाय पांच फीसदी जीएसटी लगेगा। काजू पर भी 12 की बजाय पांच फीसदी कर देना होगा।

कंप्यूटर प्रिंटर और स्कूल बैग कम दामों पर : परिषद ने कुछ किताबों और स्कूल बैग पर कर की दरें घटा दीं। ड्राइंग बुक अब कोई कर नहीं लगेगा, पहले यह 12 फीसदी तय हुआ था। कंप्यूटर प्रिंटर पर भी 28 की जगह 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। एक्सरसाइज बुक पर 18 से घटाकर 12 फीसदी और स्कूल बैग पर कर 28 से 18 फीसदी किया गया।

सौ रुपये से कम का सिनेमा टिकट सस्ता : सरकार ने 100 रुपये से कम की सिनेमा टिकटों पर कर 28 से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है। अभी राज्य सरकारें 28 से 110 फीसदी तक मनोरंजन कर वसूलती हैं। राज्य सरकारें अब फिल्मों को करों में छूट नहीं दे सकेंगी।

➤ प्रोत्साहन बढ़ेगा पेज 13

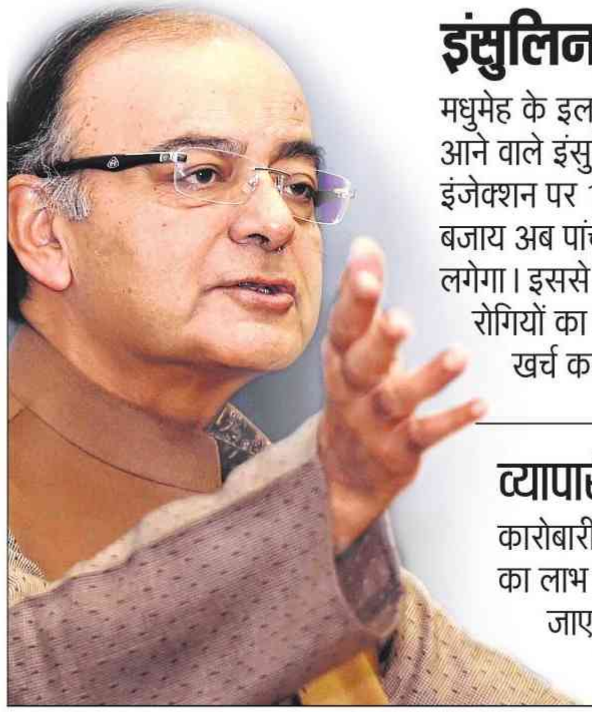

इंसुलिन सस्ता

मधुमेह के इलाज में काम आने वाले इंसुलिन के इंजेक्शन पर 12 फीसदी की बजाय अब पांच फीसदी कर लगेगा। इससे डायबिटीज रोगियों का इलाज का खर्च कम होगा।

इन वस्तुओं के कर में कमी

वस्तु	पूर्व प्रस्तावित कर	संशोधित दर
अगरबत्ती	12	5
डेंटल वेक्स	28	18
प्लास्टिक मोती	28	18
प्लास्टिक तिरपाल	28	18
कंक्रीट पाइप	28	18
ट्रैक्टर कलपुर्जे	28	18

(नोट : दर फीसदी में है)

व्यापारी अपने जीएसटी आवेदन को ऑनलाइन देख सकेंगे

कारोबारी अपने जीएसटी आवेदन की जांच अब ऑनलाइन कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कारोबारियों को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। नई पहल कुछ व्यापारियों की शिकायत के बाद शुरू की गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजीकरण की पुष्टि में उन्हें दिक्कतें आ रही हैं।